<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश. ब्रहानपुर (म.प्र.)</u> //विविध आदेश//

जावक क्र. क्यू/एस.डब्ल्यू/2020

ब्रहानप्र, दिनांक-19.07.2020

माननीय रजिस्ट्री के परिपत्र क्रमांक सी/1778 जबलपुर दिनांक 19.07.2020 के अनुसार कोरोना वायरस की राष्ट्रव्यापी महामारी को दृष्टिगत रखते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधीपति महोदय द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संकमण की संख्या को देखते हुए, पूर्व में जारी परिपत्र कमांक क्यू-5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू-13 दिनांक 17.05.2020, परिपत्र क. बी / 1880 जबलपुर दिनांक 30.05.2020, परिपत्र क. ए/1214 दि. 05.06.20, परिपत्र क. ए/1382 दिनांक-12.06.20, परिपत्र सी/1455 दि. 19.06.20, डी/2377 दि. 27.06.20, सी/1625 दि. 04.07.20, बी/2407 दि. 10.07.20 एवं अन्य जारी परिपत्रों एवं स्पष्टीकरण के द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही हेतु जारी निर्देशों को म.प्र. राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों के लिये दिनांक-20.07.2020 से दिनांक 25.07.2020 तक के लिये बढ़ाया जाना निर्देशित होने से, परिपत्र में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, मैं वीरेन्द्र एस, पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर जिला न्यायालय बुरहानपुर के लिये जारी समस्त आदेश / परिपत्र को अधिष्टित करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूं :-

- सीमित कार्य हेत् माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र कमांक क्यू-12 दि.04.05.2020 एवं डी / 2377 दि. 27.06.20 की निरन्तरता में दिनांक 20.07.2020 से 25.07.2020 तक इस जिला स्थापना में अति-आवश्यक प्रकरण ही सुनवायी में लिये जा सकेंगे।
- शेष दिशा-निर्देश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेंगे। 2.

पृष्टा. क्र.क्यू/एस.डब्ल्यू/2020 प्रतिलिपि :-

ब्रहानपुर, दिनांक : 19.07.2020

- 1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कुटुम्ब न्यायालय/जिला न्यायालय बुरहानपुर। 3. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, समस्त अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर।
- 4. पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर की ओर जिले के समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित करने हेत्।
- 5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बुरहानपुर की ओर समस्त अधिवक्तागण को सूचित करने हेतु।
- लोक अमियोजक / जिला अमियोजन अधिकारी बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
- 7. समस्त तृतीय / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, जिला न्यायालय ब्रहानपुर की ओर सूचनार्थ।

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

CIRCULAR

No.C/1778

Jabalpur Date:19.07.2020

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, for effective control over the spread of COVID-19 in the State of M.P., has been pleased to issue directions regarding functioning of the High Court as well as the District Courts/Family Courts in the State of M.P. as follows:

"The limited functioning as per circular No.D/2377 dated 27.06.2020 and circular No.Q.12 dated 4th May 2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court is extended from 20th July, 2020 till 25th July, 2020 for the High Court, Principal Seat at Jabalpur and Bench at Gwalior as well as for District Courts in the State of M.P. except High Court of M.P., Bench at Indore and its Registry where the circular No.Q1/7 dated 16th July, 2020 has been enforced with effect from 17.07.202 till 24.07.2020."

For the Subordinate Courts including Family Courts at Indore, a circular No.Q2/7 dated 17.07.2020 has been issued separately.

By the order of Hon'ble the Chief Justice

(Rajendra Rumar Vani) Registrar General

- 1911/200